FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बायतु

भैरों बनाम नूर खां वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 197/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपाल सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/9/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
8/9/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी [illegible] व्यस्त है। मिसल इजलास [illegible] दिनांक 15/10/2020 को पेश हो।	
15/10/2020	प्रार्थी वकील उप० विप्रार्थीगण के नोटिस प्रार्थी वकील द्वारा जरिये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये जिनको करीब 30 दिन से अधिक समय हो चुका है न्यायालय समय में अलग-2 तीन बार आवाज लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ	

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:46:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उ...
आवेदन / 2020 / ...
आवेदन संख्या –197 / 2020
प्रार्थी
श्रीमती जेतीदेवी ...
जाति–जा...
निवासी ...

विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के आराजी खेत के सेधा मेर विप्रार्थीगणों के खेत आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मेरो पर जो पुरानी मार्ग व रास्ते थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है जिसके कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मेरों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। तथा वर्षात होने पर विप्रार्थी व प्रार्थी के मध्य झगड़ा फसाद का डर लगा रहता है। प्रार्थी आगामी वर्ष में अपने खेत की सीमाज्ञान करवाना चाहता जो मेरो मार्गों में अनाज पाया गया। जिस हेतु प्रार्थी को अपने खेत की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढ़ी आवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू- अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के आराजी खेत की पत्थरगढ़ी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो आदेश अलग से किया जावे। शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से बाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:46:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/ 878 दिनांक :– 26/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –197/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्रीमती जेतीदेवी पत्नी मगाराम
जाति–जाट,
निवासी–इन्द्रोणियों का तला,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री नूर खां पुत्र अकबर खां वगैरा
31, निवासी– सवाऊ मूलराज,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीनी के खातेदारी खेत मौजा–सवाऊ मूलराज, पटवार मण्डल– सवाऊ मूलराज, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 420/142 रकबा क्रमशः 01.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीनी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 879–83 दिनांक :– 26/10/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाऊ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी श्रीमती जेतीदेवी पत्नी मगाराम ।
4. विप्रार्थीगण श्री नूर खां पुत्र अकबर खां वगैरा 31।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:46:23 IST
Reason: SelfAttested